

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-350/2023)/अलेसे-III/858 दिनांक :- 01/07/25

कार्यालय आदेश

श्री रवि कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, रोल नं.-747589 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) संयुक्त निदेशक, (प्रशासन) निदेशालय निरीक्षण विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 10281 दिनांक 09.05.2025 की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत (वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुक्रम में) पारिवारिक कारण (पिताजी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण) असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

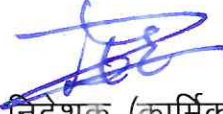
दिनांक 12.05.2025 से 10.06.2025 तक कुल 30 दिवस

उक्त 30 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री रवि कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-350/2023)/अलेसे-III/858 दिनांक :- 01/07/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त निदेशक, (प्रशासन) निदेशालय निरीक्षण विभाग, जयपुर ।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
- 3 श्री रवि कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) संयुक्त निदेशक, (प्रशासन) निदेशालय निरीक्षण विभाग, जयपुर ।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)